पुनर्गठन
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन / विधि / पंरावि / 2019 / 801 जयपुर, दिनांकः 15.7.2019

ज़िला कलेक्टर ,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः– पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101 के अर्न्तगत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन।
प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक 514 दिनांक 12.6.2019 एवं पत्रांक 544 दिनांक 19.6.2019।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपको ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन / पुनर्सीमांकन / नवसृजन के प्रस्ताव निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पुनर्गठन हेतु विभिन्न माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण अथवा अन्य जन–प्रतिनिधियों द्वारा भी आपको प्रस्ताव / अनुशंसा प्राप्त हो सकती हैं।

अतः इस सम्बन्ध में लेख है कि आप उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले प्रस्तावों / अनुशंसाओं पर नियमानुसार समुचित निर्णय लेकर, इनका निस्तारण निर्धारित समयावधि में करवाया जाना सुनिश्चित करवायें ।

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर।
5. एसीपी कम उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)